बरकतउल्ला विश्वविद्यालय होशंगाबाद रोड भोपाल

क्रमांक 128 / अकादमी(पात्रता) / 2020 भोपाल दिनांक 06 / 03 / 2020

अधिसूचना

म0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल से प्राप्त संलग्न पत्र क्रमांक 172 / सीरी / 20–38 दिनांक 28 / 02 / 2020 के परिपालन में सर्व संबंधितों को सूचित किया जाता है कि सत्र 2020–21 में अकादमिक कैलेण्डर अनुसार समय–सीमा मे परीक्षा एवं अन्य गतिविधियों के संचालन के संबंध में प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, द्वारा प्रेषित निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें, अन्यथा की स्थिति में संबंधित की जबावदारी सुनिश्चित कर म.प्र. शासन को सूचना प्रेषित की जावेगी।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

आदेशानुसार

कुलसचिव

पृ0क्रमांक 129 / अकादमी (पात्रता) / 2020 भोपाल, दिनांक 06/ 03 / 2020

प्रतिलिपिः–

1 प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल।

2 अधिष्ठाता, छात्रकल्याण विभाग ब.वि. वि. भोपाल।

3 बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्यों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

4 बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से संबद्ध शिक्षण विभागों के समस्त विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

5 कुलपति के निजि सचिव के माध्यम से माननीय कुलपतिजी को सूचनार्थ ।

6 कुलसचिव के निजि सहायक के माध्यम से माननीय कुलसचिव जी को सूचनार्थ ।

7 वित्त नियंत्रक ब0वि0वि0 भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

8 परीक्षा नियंत्रक / उपकुलसचिव / सहायक कुलसचिव परीक्षा एवं गोपनीय ब.वि.वि. भोपाल की ओर सूचनार्थ।

9 प्रभारी, वेबसाइट (आई.टी. सेल) की ओर सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

10 निज नस्ती ।

कुलसचिव

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन,
उच्च शिक्षा विभाग,
मंत्रालय, भोपाल--462004

क्रमांक / 172 / सी सी 20 / 38 भोपाल, दिनांक 28 / 02 / 2020

प्रति,

1. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश।
2. कुलसचिव, समस्त परम्परागत विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
3. प्राचार्य, समस्त शासकीय / अशासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।

अत्यावश्यक / अतिमहत्वपूर्ण

विषय:-- सत्र 2020--21 मे अकादमिक कैलेण्डर अनुसार समय--सीमा में परीक्षा एवं अन्य गतिविधियों के संचालन के संबंध में आवश्यक निर्देश।

संदर्भ:-- उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक--1042 / 164 / सी.सी. / 2019, भोपाल दिनांक 18.12.2019

---000---

सत्र 2020--21 में अकादमिक कैलेण्डर का पालन सुनिश्चित किया जाना है। अकादमिक कैलेण्डर का पालन सुनिश्चित करते हुए निम्नानुसार कार्यवाही सम्पादित किया जाना अत्यावश्यक है:-

1. **परीक्षा संचालन :--**

- मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी अकादमिक कैलेण्डर सत्र 2019--20 के परिपालन में कुल सचिव, समस्त विश्वविद्यालय एवं प्राचार्य समस्त स्वशासी महाविद्यालय मध्यप्रदेश सभी स्नातक / स्नातकोत्तर परीक्षाओं की समय सारणी यथा समय घोषित कर निर्धारित समय सीमा में परीक्षा सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगे।
- समस्त विश्वविद्यालय स्नातक / स्नातकोत्तर सभी कक्षाओं के लिए प्रायोगिक परीक्षाओ की समय सारणी यथा समय घोषित करें। समस्त प्राचार्य, विश्वविद्यालय के गोपनीय / परीक्षा विभाग से समन्वय कर यथा समय प्रायोगिक परीक्षायें पूर्ण कराकर प्रायोगिक परीक्षाओं के अंक विश्वविद्यालय को समय सीमा में प्रेषित करेंगे।
- सत्र 2019--20 की स्नातक / स्नातकोत्तर की अप्रैल / मई 2020 मे आयोजित होने वाली परीक्षाओं के संचालन हेतु समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे तथा क्षेत्राधिकार में आने वाले महाविद्यालयों में पदस्थ प्राध्यापकों / सहायक प्राध्यापकों के माध्यम से विश्वविद्यालय परीक्षाएं निर्धारित समय--सीमा में पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।
- विश्वविद्यालय की वार्षिक / सेमेस्टर परीक्षाए समय--सीमा मे पूर्ण कराने के दृष्टिगत किसी भी प्राध्यापक / सहायक प्राध्यापक / कार्यालयीन स्टाफ को अवकाश देय नहीं होगा। विशेष परिस्थिति में संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा (नोडल अधिकारी) अवकाश स्वीकृत करने हेतु सक्षम होंगे।

2. **मूल्यांकन प्रक्रिया :--**

- अकादमिक कैलेण्डर का पालन सुनिश्चित करने एवं सत्र 2019--20 के परीक्षा परिणाम समय सीमा में घोषित करने हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर त्रिस्तरीय मूल्यांकन व्यवस्था होगी।

  - ❖ परीक्षा प्रारंभ होने की तिथि के एक सप्ताह के अंदर समस्त विश्वविद्यालयों में केन्द्रीय मूल्यांकन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। समय सीमा मे मूल्यांकन कार्य पूर्ण कराने की दृष्टि से संबंधित मूल्यांकन कर्त्ताओं के साथ अन्य विश्वविद्यालयो से संबद्ध शैक्षणिक स्टाफ को भी विश्वविद्यालयीन मानदण्डों के आधार पर केन्द्रीय मूल्यांकन कार्य में सम्मिलित किया जा सकता है।
  - ❖ पाठ्यक्रमों में पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु नोडल अधिकारी (क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक) के माध्यम से आवश्यकतानुसार जिला स्तर पर संकायवार नोडल मूल्यांकन केन्द्र की व्यवस्था की जाएगी।

❖ पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने पर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन विश्वविद्यालय के परिक्षेत्र से बाहर, प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से मूल्यांकन कराने का कार्य कराया जा सकेगा।

3. मानदेय/परीक्षा संचालन व्यय का भुगतान :-

- समस्त कुल सचिव, विश्वविद्यालय (वार्षिक/सेमेस्टर) की परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु प्राध्यापकों/सहायक प्राध्यापकों को देय मानदेय का भुगतान नोडल केन्द्र पर ही किया जाएगा। इस हेतु संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले समस्त नोडल केन्द्रों को अग्रिम राशि प्रदान की जाएगी। मूल्यांकन कार्य की समाप्ति के 15 दिवस के अन्दर नोडल केन्द्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा विश्वविद्यालय को अग्रिम राशि का लेखा विवरण प्रेषित किया जाएगा।
- महाविद्यालय स्तर पर परीक्षा संचालन हेतु नियमानुसार विश्वविद्यालयीन परीक्षा कार्य में संलग्न प्राचार्य/प्राध्यापक/तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी स्टाफ को दिये जाने वाले मानदेय का भुगतान समस्त विश्वविद्यालयों द्वारा परीक्षा समाप्ति के 15 दिवस के अन्दर प्रदान किया जाएगा।
- विश्वविद्यालयों के क्षेत्राधिकार में आने वाले महाविद्यालयों को परीक्षा संचालन/पेपर सेटिंग/उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन इत्यादि का मानदेय यदि लम्बित है तो कुल सचिव, समस्त विश्वविद्यालय मध्यप्रदेश द्वारा 30 जून 2020 तक अनिवार्य रूप से भुगतान करेंगे।

4. अन्य निर्देश :-

- विश्वविद्यालयीन परीक्षा अनिवार्य सेवा की श्रेणी का कार्य है, इसलिए परीक्षा संबंधी समस्त कार्य मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित अकादमिक कैलेण्डर के अनुसार निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करना आवश्यक होगा।
- विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टाफ का कोई सदस्य विश्वविद्यालयीन परीक्षा कार्य में यदि अरूचि प्रदर्शित करता है तो ऐसे व्यक्तियों की जानकारी समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा/कुल सचिव समस्त विश्वविद्यालय के माध्यम से एकत्रित कर आयुक्त उच्च शिक्षा को प्रेषित करेंगे। ऐसे प्राध्यापकों के गोपनीय प्रतिवेदन में इस आशय की प्रविष्टि अंकित की जाएगी। जिसके परिणाम स्वरूप समय समय पर उन्हें प्राप्त होने वाले वेतनमान [illegible] प्रभावित होगी।

क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय स्तर पर कार्य योजना तैयार कर परीक्षाओं का आयोजन एवं समय-सीमा में परीक्षा परिणाम घोषित करना सुनिश्चित करते हुए दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

28/2

(नीरज मण्डलोई)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ क्रमांक / 173 / सीसी / 20 / 38
भोपाल, दिनांक 28 / 02 / 2020

प्रतिलिपि

1. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन भोपाल (म.प्र.)।
2. निज सहायक, प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म.प्र.)।
3. निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल मध्यप्रदेश।
4. निज सहायक, कुलपति, समस्त परंपरागत विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
5. निज सहायक, अपर आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल मध्यप्रदेश।
6. वि.क.अ. उच्च शिक्षा (आई.टी.सेल), भोपाल की ओर विभागीय "वेबसाईट" पर अपलोड कराने हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग